

## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत

**आर०एम० वाद सं०-36 / 2017-18**

महेश्वर महतो.....विक्रेता

बनाम

शोभा महतो.....क्रेता

27.12.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राहे के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक-1307(ii)/रा० दिनांक-06.12.2022, एवं ज्ञापांक-1371(ii)/रा० दिनांक-17.12.2022, के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता महेश्वर महतो पिता-स्व० नकुल महतो, ग्राम-कोम्बोजाराडीह, पो०-अम्बाझरिया, थाना-अनगड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी (महतो) पेशा-खेती एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बेला	सोनाहातु/79	30	574 626	46 डी० 50 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपे समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उपे समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।